

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा की निम्नांकित देशी मदिरा दुकानें तृतीय चरण के व्यवस्थापन में भी निर्धारित पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापित नहीं हो पाई हैं, और दिनांक 17.05.2018 तक के लिए दैनिक आधार पर संचालित कराई जा रही हैं। उक्त दुकानों को दिनांक 18.05.2018 से 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित पूर्ण राजस्व पर संचालित करने हेतु यदि कोई पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रकिया शुल्क रू0 22,000/- के बैंक ड्राफ्ट (जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के पक्ष में देय) के साथ आवेदन करता है, तो प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में दुकान का आवंटन कर दिया जायेगा।

यदि उक्त दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकानों को दिनांक 18.05.2018 से 24.05.2018 तक के लिए दैनिक आधार पर संचालित करने हेतु इच्छुक आवेदकों से बन्द लिफाफे में आफर दिनांक 18.05.2018 की अपरान्ह 12:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 12:30 बजे जिला स्तरीय आवंटन समिति के समक्ष खोले जायेंगे। सम्बन्धित देशी मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

कं0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दिनांक 18.05.2018 से 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित राजस्व रू0 में
01	पनुवानौला	देशी मदिरा	रू0 1,75,90,071 / -
02	द्वाराहाट	देशी मदिरा	रू0 1,77,44,552 / -


उपरोक्त देशी मदिरा दुकानों के लिए दैनिक आधार पर सर्वाधिक राजस्व/निगोशियेशन उपरांत सर्वाधिक राजस्व का आफर करने वाले आवेदक के पक्ष में जिला अधिकारी महोदय द्वारा मदिरा दुकान का आवंटन किया जायेगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 118 / पॉच-आब0 / व्यव0 / 2018-19 / दिनांक: मई 16, 2018
प्रतिलिपि -

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद अल्मोड़ा की वेबसाईट almora.nic.in पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अपलोड करने का कष्ट करें
4. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 17.05.2018 को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी
अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा।